संख्या–2338 /XV-1/11/2(2)/10

प्रेषक,

विनोद फोनिया,
सचिव,
उत्तराण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 09 फरवरी, 2011

विषयः विपणन संवर्ग के अन्तर्गत सहायक ऊन विश्लेषण अधिकारी का वेतनमान ₹ 9300–34800 ग्रेड पे 4200 के स्थान पर ₹ 9300–34800 ग्रेड पे 4600 अनुमन्य किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–800/स्था०एक/विपणन संवर्ग (वेतन विसगति)/2009–10 दिनांक 22 फरवरी, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–483/XXVII(7)/द्वि०प्रति/2010 दिनांक 12 मार्च, 2010 के सन्दर्भ में पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड के विपणन संवर्ग के अन्तर्गत सहायक ऊन विश्लेषण अधिकारी के पद के दिनांक 01.01.2006 के पूर्व वेतनमान ₹ 6500–10500 के वेतनमान को ₹ 7450–11500 के वेतनमान में दिनांक 01.01.2006 से वेतन बैण्ड–2 में ₹ 9300–34800 में ग्रेड पे 4600 में उच्चीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त वेतनमान के पुनरीक्षण के फलस्वरूप कार्यरत पद धारकों के वेतन अब ₹ 6500–10500 के स्थान पर ₹ 7450–11500 के शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के साथ संलग्न फिटमेन्ट टेबल के अनुसार समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का अनुपालन करते हुए किया जाए। पुनरीक्षित व पूर्व वेतनमान के एरियर की धनराशि आयकर व अन्य कटौतियाँ करके भुगतान की जाएगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–4280/XXVII(7)/2011 दिनांक 4 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद फोनिया)
सचिव

संख्या– 2338 /XV-1/11/2(2)/10 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल।
4. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एन०आई०सी०।
6. वित्त (वे०आ०–स०नि०) अनुभाग–7
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव